न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डलग्वालियर केम्प, सागर म.प्र.

निग - 16 - II - 16.

रामवती पत्नि मूलचंद उर्फ मुलुआ अहिरवार

निवासी ग्राम टौरियातह. पलेरा जिला टीकमगढ म.प्र.

.. निगरानी कर्ता/आवेदक

// विरूद्ध //

1. रामदीन तनय पंचा अहिरवार

निवासी ग्राम टौरियातह पलेरा जिला टीकमगढ म.प्र.

.. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959.

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपरआयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र.क्र. 611अ/12/11-12 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2015 से परिवेदित होकरप्रस्तुत ।

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओरसे निम्न प्रार्थना है -

1:- यहकि संक्षिप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि क्र.नं. 2?/12 रकबा 2.00 हेक्टेयर निगरानीकर्ता के द्वारा भूमि तेजकुंवर बेवा मंगल सिंह से रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा क्रय की थी. जिसकानामांतरण पंजी क्रमांक 17 दिनांक 23.03.2007 के द्वारा ग्राम टौरिया उजड़ द्वारा स्वीकृत किया गया था । जिसके आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा क्रयशुदा भूमि पर कब्जा प्राप्त किया गया ।

2:- यहकि विक्रेता तेजकुंवर एवं मंगलसिंह के सीमांकन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमाक निगरानी 16–दो/16 जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 61/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 24–9–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ निगराकार अधिवक्ता ने तर्क में कहा कि निगराकार ने वाद भूमि तेजकुंवर से खरीदी थी जिसका नामांतरण पंजी कमांक 17 पर दिनांक 23–3–07 को हुआ था, एवं तहसीलदार ने दिनांक 7–6–08 को सीमाकंन स्वीकृत किया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में अपर कलेक्टर ने सीमांकन को यथावत रखा, जिससे सीमाकंन अंतिम हो गया, जिसमें निगराकार की 0.800 हैक्टेयर भूमि पर गैर निगराकार का कब्जा पाया गया है । 3/ इसके आधार पर निगराकार ने धारा 250 में बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ कराई जिसमें दिनांक 15–6–09 को कब्जा हटाने का आदेश हुआ और अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 14–7–09 को सिविल जेल का आदेश किया । 4/ तहसीलदार के आदेश दिनांक 15–6–09 के विरूद्ध गैर निगराकार ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी की थी, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30–9–09 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को स्वत्व के बिन्दु पर साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित कर दिया । 5/ इसके विरूद्ध निगराकार द्वारा अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समक्ष की गई निगरानियों के आदेशों से निगराकार	

संतुष्ट नहीं हुआ, और अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में आया है ।

6/ अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक 24–9–15 के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि उन्होंने अपने आदेश के अंतिम पैरा में यह बिल्कुल स्पष्टतः लिखा है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना क्यों सही है । इसमें उन्होंने लिखा है कि तेजकुंवर को दखल रहित अधिनियम 1984 के अंतर्गत कब्जा दिया जाना नहीं पाया जाता, और भूमिस्वामी स्वत्व विवादित है, जिसकी वजह से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तन किया जाना उपयुक्त है ।

7/ आवेदक अधिवक्ता ने तर्क में कहा है कि दखलरहित अधिनियम 1984 के तहत अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने की अधिकारिता नहीं थी, किन्तु उन्होंने अपर आयुकत का यह निष्कर्ष कि "तेजकुंवर को दखल रहित अधिनियम के अंतर्गत कब्जा दिया जाना नहीं पाया जाता" का ना तो तर्क या मेमों में खण्डन किया है और ना ही उसके खण्डन के कोई आधार बताए हैं । ऐसे में अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष को गलत मानने का और अनुविभागीय अधिकारी को अधिकारिता नहीं होने का बिन्दु शेष नहीं रहता ।

8/ आवेदक का यह तर्क कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने ही सिविल जेल के आदेश के बावजूद उनका आदेश दिनांक 30–9–09 का आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने एक अन्य प्रकरण में पारित किया है और इस आदेश से संबंधित प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्वत्व के बिन्दु पर पुनः विचार कराए जाने की आवश्यकता आई, जिस वजह से उन्होंने अपना आदेश किया ।

निग0 16–दो/16 जिला टीकमगढ

9/ वैसे भी अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश से अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यावर्तन आदेश यथावत रहा है, जिसके फलस्वरूप आवेदक सहित उभयपक्ष के पास विचारण न्यायालय के समक्ष पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है ।

10/ उपरोक्त के प्रकाश में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य